

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -2005 / 2014 / जोधपुर

मैसर्स वैशाली बिल्डर्स, शास्त्री नगर, जोधपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, वृत्त बी, पीपाड शहर, जोधपुर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम. चौपड़ा
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी. ओझा
उप-राजकीय अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15.09.2016

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 2 / आरवैट / जेयूडी / 2014-15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.08.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 82 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आलौच्य अवधि 2011-2012 में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही के VAT-10 विवरण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर नियम 2006 (जिसे आगे नियम कहा जायेगा) के नियम 19-A के अधीन रुपये 15,000/- विलम्ब शुल्क आरोपित किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28.08.2014 को अस्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 05.03.2014 की पुष्टि की गई। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.08.2014 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक के द्वारा लिखित बहस पेश की गई तथा मौखिक रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण कर निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित है तथा अपीलार्थी द्वारा सभी विवरण पत्र (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही) विभागीय वेबसाईट पर समय पर अपलोड कर दिये गये हैं। जबकि विवरण पत्रों को प्रस्तुत करने की बढ़ायी गयी अंतिम तिथि 30.04.2013 थी।

लगातार.....2


15/09/16

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-प12(59) वित्त/कर/2014-9 दिनांक 14.07.2014 द्वारा नियम 19(2) में संशोधन किया जाकर दिनांक 01.04.2014 तक प्रस्तुत (uploaded) किये गये सभी इलेक्ट्रानिक्स रिटर्न जिस दिवस को वेबसाईड पर प्रस्तुत किये गये है, उसी तिथि को प्रस्तुतीकरण की तिथि मान ली गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा हार्डकॉपी प्रस्तुत करने या न करने तथा विलम्ब से प्रस्तुत करने पर आरोपित की गयी फीस को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किया कि विवरण पत्रों की देरी की स्थिति में विलम्ब शुल्क के संबंध में धारा 21 व नियम 19 व 19A के प्रावधानों में विलम्ब शुल्क की गणना, अभिनिर्धारण व जमा करवाने की विधिक बाध्यता अपीलार्थी व्यवहारी की होती है। प्रावधान के अनुसार विनिश्चित योग्य (Quantifiable) विलम्ब राशि (जिसका दायित्व निर्धारण की जिम्मेदारी भी व्यवसायी पर ही है) जमा करवाये जाने के बाध्यकारी प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011-2012 की प्रथम, द्वितीय व तृतीय तिमाही का ई-विवरण पत्र विभागीय वेबसाईट पर दिनांक 10.11.2012 को अपलोड किया गया किन्तु विभागीय वेबसाईट पर इलेक्ट्रोनिकली अपलोडेड हार्डकॉपी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः अपीलार्थी पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारित किया गया है, वह विधि सम्मत है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई। अपने उक्त तर्कों के परिपेक्ष में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा वर्तमान अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2011-2012 की प्रथम, द्वितीय व तृतीय तिमाही का ई-विवरण पत्र विभागीय वेबसाईट पर दिनांक 10.11.2012 को अपलोड किया गया किन्तु विभागीय वेबसाईट पर इलेक्ट्रोनिकली अपलोडेड हार्डकॉपी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई। जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियम 19-A के अधीन रूपये 15,000/- विलम्ब शुल्क अधिरोपित किया। इस संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित नियम 19(2) के संशोधन से पूर्व एवं दिनांक 14.02.2014 से संशोधित प्रावधान को यहां उल्लेखित किया जाना आवश्यक है।
6. नियम 19(2) के प्रावधान दिनांक 14.07.2014 से पूर्व निम्न प्रकार थे :-

(2) Every dealer shall submit return electronically through the official web-site of the department, unless otherwise notified by the Commissioner.

Amrinder
15/09/16

The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through official Web-Site of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, within fifteen days of the last date for filing of such return(s) and in case the return(s) is filed after the last date of filing of return(s), within fifteen days of the filing of such late return(s), failure to do so shall be deemed to be a case of non filing of return(s).

7. नियम 19(2) के प्रावधान दिनांक 14.07.2014 से प्रभावी निम्न प्रकार हैं -


(2) Every dealer shall submit return electronically through the official website of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager.

However, where the dealer has given his consent to use the official website for submitting return in the prescribed manner, he may submit return without digital signature.

However, for the period prior to 01.04.2014, if the dealer has failed to furnish the signed copy of acknowledgement generated through the official website of the department, within the time prescribed under the rules which were in force at that time, the date of submission of signed copy of said acknowledgement shall be deemed to be the date of the filing of the return.


8. नियम 19(2) जो दिनांक 14.07.2014 से प्रभावी हैं, में यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 01.04.2014 से पूर्व की समयावधि के लिये विभाग की ऑफिशियल वेबसाईड द्वारा जेनरेटेड हस्ताक्षरयुक्त पावती विहित समयावधि (जो तत्समय में प्रचलित थी) में प्रस्तुत करने में असफल रहने की स्थिति में पावती की हस्ताक्षरयुक्त कॉपी प्रस्तुत करने की दिनांक वह मानी जायेगी जो विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक थी। इस संशोधन के पश्चात यह स्पष्ट है कि दिनांक 01.04.2014 से पूर्व की समयावधि के लिये यदि देय विवरण प्रपत्र विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है तो पावती की हस्ताक्षरयुक्त कॉपी प्रस्तुत करने की दिनांक भी वही दिनांक मानी जायेगी। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2011-2012 की प्रथम, द्वितीय व तृतीय तिमाही का ई-विवरण पत्र विभागीय वेबसाईट पर दिनांक 10.11.2012 को अपलोड किया गया किन्तु विभागीय वेबसाईट पर इलेक्ट्रोनिकली अपलोडेड हार्डकॉपी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि के समस्त ई-विवरण प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर नियत समयावधि में अपलोड किया जाना निर्विवादित है एवं नियम 19(2) के दिनांक 14.07.2014 से प्रभावी प्रावधानों के अनुसार सॉफ्टकॉपी प्रस्तुत किये जाने की दिनांक को ही प्रस्तुत किये जाने की दिनांक को ही हस्ताक्षरयुक्त हार्डकॉपी प्रस्तुत किये जाने की दिनांक माना गया है। यद्यपि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि के उपर्युक्त त्रैमासिक विवरण-पत्रों की सॉफ्टकॉपी अर्थात्

लगातार.....4


15/09/16

ई-विवरण पत्र विभागीय वेबसाईट पर नियत समयावधि में अपलोड की गई किंतु अपीलार्थी द्वारा उक्त त्रैमासिक विवरण-पत्रों की हार्ड कॉपी कर निर्धारण आदेश तक प्रस्तुत ही नहीं की गई। ऐसी स्थिति में जब हार्डकॉपी प्रस्तुत ही नहीं की गई तब नियम 19(2) के तहत विवरण-पत्रों की साफ्टकॉपी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की दिनांक को हार्डकॉपी प्रस्तुती की दिनांक नहीं माना जा सकता। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आलौच्य अवधि के लिए वैट नियम में हार्डकॉपी प्रस्तुत किये जाने से किसी प्रकार की कोई छूट प्रदान नहीं की गई अर्थात् आलौच्य अवधि की हार्डकॉपी प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक (mandatory) था।

9. यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी व्यवहारी मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आता है, अतः उक्त प्रावधानों अनुसार अधिकतम रूपये 5,000/- विलम्ब शुल्क आरोपणीय है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2011-2012 की प्रथम, द्वितीय व तृतीय तिमाही का ई-विवरण पत्र की हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं करने के कारण नियम 19A के तहत प्रति त्रैमासिक 5000/- रूपये के अनुसार कुल 15000/- रूपये का विलम्ब शुल्क अधिरोपित करने में कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 05.03.2014 विधिसम्मत है। जिसकी अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.08.2014 द्वारा पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
10. अतः अपीलीय आदेश दिनांक 28.08.2014 की पुष्टि की जाती है।
11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।
12. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य